भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 360

04/02/2025 को उत्तरार्थ

विषयः असम में चाय किसानों के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी

360. मोहम्मद रकीबुल हुसैनः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि असम में चाय की खेती क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्या सरकार चाय की खेती करने वाले छोटे और मध्यम किसानों को बाजार में उतार-चढ़ाव वाली कीमतों से निपटने में मदद करने के लिए राजसहायता या सहायता प्रदान करती है, किन्तु इसके बावजूद कई किसानों को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कृषि आधुनिकीकरण और उत्पादकता सुधार के लिए कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने वाली कोई सरकारी योजना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है कि विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों में चाय किसानों को वित्तीय सहायता और विकास संसाधन प्राप्त हो सकें?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): चाय एक वाणिज्यिक फसल है तथा इसका मूल्य, मांग और आपूर्ति की गतिशीलता से प्रभावित होता है। चाय उत्पादकों, मुख्यतः लघु उत्पादकों के लिए उचित मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए, वर्ष 2004 में चाय बोर्ड ने मूल्य साझाकरण फॉर्मूले (पीएसएफ) का शुभारंभ किया, जिसके तहत हरी पत्ती और निर्मित चाय दोनों की उत्पादन लागत के आधार पर एक निश्चित अनुपात में उत्पादक और निर्माता के बीच बिक्री राशि को उचित रूप से साझा करने की परिकल्पना की गई थी। पीएसएफ के उचित कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए उत्पादकों को हरी पत्ती की कीमतों के भुगतान की निगरानी, जिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में जिला हरी पत्ती मूल्य निगरानी समितियों द्वारा की जाती है।

असम सहित देश में चाय उत्पादकों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, चाय बोर्ड चाय विकास और संवर्धन योजना का कार्यान्वयन करता है, जिसमें विशेषतः लघु चाय उत्पादकों (एसटीजी) के लिए घटक शामिल हैं। एसटीजी को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के रूप में संगठित करने पर बल दिया जाता है, जिसका उद्देश्य चाय मूल्य श्रृंखला में अधिक लाभकारी रूप से प्रतिभागिता के लिए उन्हें सशक्त करना और विस्तार सेवाओं तथा योजनाओं तक पहुंच को बेहतर बनाना है। इस कार्यक्रम में कृषि मशीनीकरण उपकरण, लीफ कैरिज वेहिकल, लीफ शेड, प्रूनिंग मशीनें, मेकेनिकल हार्वेस्टर और भंडारण गोदाम, परिक्रामी कोष निधि, पारंपरिक, हरी और विशेष चाय के उत्पादन के लिए नवीन लघु कारखानों की स्थापना, मृदा परीक्षण और फार्म फील्ड स्कूलों के माध्यम से क्षमता सृजन सहित विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, उचित प्रूनिंग चक्र और मानक प्लकिंग राउंड बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इस सहायता का उद्देश्य न केवल एसएचजी और एफपीओ के गठन को प्रोत्साहित करना है बल्कि उत्पादकता बढ़ाना, गुणवत्ता में सुधार करना, अधिक मूल्य संवर्धन और इसके फलस्वरूप एसटीजी के लिए अधिक मूल्य उपलब्ध कराना है।

योजना के तहत सभी सेवाएँ सर्विस प्लस पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, जिसमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से वित्तीय सहायता अंतरित की जाती है। इसके अतिरिक्त, योजना का कार्यान्वयन विकेंद्रीकृत है और संबंधित क्षेत्रों में इसका प्रबंधन आंचलिक या क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जाता है। जमीनी स्तर पर पहुंच को बेहतर बनाने के लिए, विशेषतः दूर-दराज के क्षेत्रों में, क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय बागान क्षेत्रों में स्थित हैं और लघु उत्पादकों से सीधे संपर्क किया जाता हैं तथा उन्हें योजनाओं तक पहुँचने में सहायता प्रदान की जाती है।

*****